

सुदामा पांडे एवं अन्य।

बनाम

बिहार राज्य

5 दिसंबर, 2001

[उमेश सी. बनर्जी एवं के.जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्तिगण]

आपराधिक विचारण - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - के आधार पर दोषसिद्धि - परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो एक शृंखला बनाती हों जो अभियुक्त के अपराध के निष्कर्ष की ओर ले जाए।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136:

तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष — सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता — तथापि जब न्याय का पर्याप्त अपचार हो तो हस्तक्षेप किया जा सकता है।

साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन — सामान्यतः नहीं किया जाता — किंतु तब किया जा सकता है जब साक्ष्य का मूल्यांकन विधि या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित हो अथवा साक्ष्य का भ्रामक पठन हो।

अपीलार्थियों पर कथित रूप से 12 वर्षीय बालिका की मृत्यु कारित करने का आरोप था। विचारण न्यायालय ने विभिन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर अवलंब करते हुए अपीलार्थियों को दोषी पाया और उन्हें मृत्युदंड से दंडित किया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की किंतु मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। अतः वर्तमान अपील दायर की गई।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अवलंबित विभिन्न परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित नहीं करती थीं और ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हैं जो गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं कि पीड़िता की मृत्यु अभियोजन द्वारा कथित तरीके से नहीं हुई होगी। इस प्रकार, अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप का दोषी नहीं पाया जा सकता था। [469-च]

2. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, विभिन्न परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाली श्रृंखला बननी चाहिए। जहां केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, वहां न्यायालय को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करना होता है और यह तय करना होता है कि क्या साक्ष्य मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक विशेष तथ्यों को सिद्ध करता है और जब ऐसे तथ्य सिद्ध हो जाते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या वे तथ्य अभियुक्त व्यक्ति के अपराध का कोई निष्कर्ष उत्पन्न करने में सक्षम हैं अथवा नहीं। अपराध का निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब सिद्ध तथ्य अभियुक्त के अपराध के साथ पूर्णतः संगत हो और यदि सिद्ध तथ्य उसकी निर्दोषिता के साथ संगत हो तो वह संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। [468-घ-ड]

तन्वीबेन पनिकाइकुमार दिवेटिया बनाम गुजरात राज्य, [1997] 7 एससीसी 156 और *शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य*, [1984] 4 एससीसी 116, संदर्भित।

3. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य केवल यह दर्शाता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपीलार्थियों को उस स्थान के निकट पाया जहां लाश मिली थी। यदि यह भी मान लिया जाए कि अपीलार्थी एक साथ बैठे हुए पाए गए अथवा सड़क पर चलते हुए पाए गए, तो वह स्वयं में अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाला कोई अपराधसूचक परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है, जब तक कि वे घटनास्थल के अत्यंत निकट न पाए गए हों अथवा संदिग्ध

परिस्थितियों में न पाए गए हों। यह साक्ष्य कि कुछ अपीलार्थियों ने मृतका को छेड़ा था, भी संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। इस क्षीण संदेह के अतिरिक्त, अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने का कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने वाली कोई अपराधसूचक सामग्री, जैसे कि उनके द्वारा कथित रूप से अपराध कारित करने में प्रयुक्त किसी हथियार की बरामदगी अथवा उनके द्वारा पहने गए रक्त-सने वस्त्र, जो अपीलार्थियों का अपराध सिद्ध करने में कुछ सहायक होते, पर हाथ नहीं डाल सके। अपीलार्थियों को घटना के तत्काल बाद गिरफ्तार किया गया था। उनमें से किसी के भी शरीर पर चोट नहीं थी। यह भी संदिग्ध है कि क्या घटना स्वयं कथित स्थानों पर घटित हुई थी। अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया कि उसने महजर में यह नहीं देखा कि जहां लाश मिली थी उस क्षेत्र के निकट पैरों के निशान अथवा पौधों की रोंदाई के निशान थे। इसके अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा परीक्षित अभियोजन साक्षी अन्य आपराधिक मामलों में अभियुक्त थे जिनके साक्ष्य पर विचारण न्यायालय को अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता से विचार करना चाहिए था। [472- ग-च; 472-ख]

4. संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत यह न्यायालय दो समवर्ती न्यायालयों द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्षों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करता है, किंतु यदि यह न्यायालय संतुष्ट हो कि उच्च न्यायालय ने विधि की गंभीर त्रुटि की है और न्याय का पर्याप्त अपचार हुआ है, तो यह न्यायालय उच्च न्यायालय एवं विचारण न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह न्यायालय भी सामान्यतः साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन या पुनरीक्षण में प्रवृत्त नहीं होता, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन विधि या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित न हो अथवा साक्ष्य का भ्रामक पठन न हो। [469- छ-ज]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 654-655/2000।

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील सं. 200/1999 में दिनांक 28.4.2000 के निर्णय एवं आदेश से:

अपीलकर्ताओं की ओर से सुशील कुमार, ऋषि मल्होत्रा और प्रेम मल्होत्रा।

उत्तरदाता की ओर से बी.बी. सिंह के लिए साकेत सिंह।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

न्यायामूर्ति के.जी. बालकृष्णन भोजपुर, बिहार के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पांच अभियुक्त व्यक्तियों का दो अन्य के साथ विचारण किया गया। सत्र न्यायालय ने अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया और इन अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, धारा 376/511 एवं धारा 201/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और सभी अपीलार्थियों को मृत्युदंड से दंडित किया। अपील पर, बिहार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सभी पांच अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की, किंतु मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया।

अपीलार्थियों पर यह आरोप लगाकर विचारण किया गया कि उन्होंने गुड़िया कुमारी नामक 12 वर्षीय बालिका की मृत्यु कारित की। गुड़िया कुमारी कक्षा सातवीं की छात्रा थी। दिनांक 6.11.1996 को प्रातः लगभग 9:30 बजे वह विद्यालय के लिए घर से निकली किंतु सायंकाल तक घर नहीं लौटी। उसके परिवार के सदस्यों ने उसे खोजना प्रारंभ किया किंतु उस दिन उसका पता नहीं लगा सके। अगले प्रातः अभियोजन साक्षी-1, सतेंद्र सिंह, जो गुड़िया कुमारी का भाई था, को ज्ञात हुआ कि उसकी लाश एक रवि शंकर पांडेय के खेत में पड़ी है। अभियोजन साक्षी-9, पुलिस उपनिरीक्षक को भी ज्ञात हुआ कि लाश खेत में पड़ी है और वे उपमहानिरीक्षक पुलिस के साथ वहां गए। अभियोजन साक्षी-8, दादन सिंह ने पुलिस को बयान दिया और उस बयान के आधार पर भूषण महतो, मदन पांडेय एवं भुचई महतो के

विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया। अभियोजन साक्षी-9 ने मामले में आगे अन्वेषण किया और लाश पर मृत्यु-समीक्षा की गई तथा गुडिया कुमारी की लाश को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया।

अभियोजन साक्षी-9 ने साक्षियों के बयान लिए और अंततः सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षियों की परीक्षा की गई और बचाव पक्ष की ओर से 3 साक्षियों की परीक्षा की गई। यह दर्शाने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि हमलावरों द्वारा गुडिया कुमारी की मृत्यु किस प्रकार कारित की गई। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विभिन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर अवलंब किया और इन अपीलार्थियों को अपराधों का दोषी पाया और उक्त निष्कर्ष की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।

हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री साकेत सिंह को सुना। इस मामले में अवलंबित साक्ष्य की विभिन्न मद्दों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, हमारा यह मत है कि सत्र न्यायाधीश इन अपीलार्थियों को हत्या के अपराध का दोषी ठहराने के निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर रूप से भ्रान्त हुए। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, विभिन्न परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाली श्रृंखला बनाने में सक्षम होनी चाहिए। जहां केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, वहां न्यायालय को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करना होता है और यह तय करना होता है कि क्या साक्ष्य मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक विशेष तथ्यों को सिद्ध करता है और जब ऐसे तथ्य सिद्ध हो जाते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या वे तथ्य अभियुक्त व्यक्ति के अपराध का कोई निष्कर्ष उत्पन्न करने में सक्षम हैं अथवा नहीं। अपराध का निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब सिद्ध तथ्य अभियुक्त के अपराध के साथ पूर्णतः संगत हो और निश्चित रूप से यदि सिद्ध तथ्य उसकी निर्दोषिता के साथ संगत हो तो वह संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित विधि, स्पष्ट एवं असंदिग्ध शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित की गई है और *तन्वीबेन पंकजकुमार दिवेतिया बनाम गुजरात राज्य, [1997] 7 एस.सी.सी. 156* में इस न्यायालय द्वारा की गई विधि की अभिव्यक्ति को उद्धृत करना पर्याप्त होगा:-

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बनाने का सिद्धांत इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में इंगित किया गया है और विधि सुस्थापित है कि प्रत्येक अपराधसूचक परिस्थिति विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित होनी चाहिए और इस प्रकार सिद्ध परिस्थितियां घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए जिससे अभियुक्त के अपराध के बारे में केवल एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सके और अपराध के विरुद्ध कोई अन्य परिकल्पना संभव न हो। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सावधानी की एक टिप्पणी ध्वनित की है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर मुख्यतः निर्भर करने वाले मामले में सदैव यह खतरा रहता है कि अनुमान या संदेह विधिक प्रमाण का स्थान ले सकते हैं। न्यायालय को अपने आप को संतुष्ट करना होगा कि घटनाओं की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियां स्पष्ट रूप से स्थापित की गई हैं और ऐसी पूर्ण घटना श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता की उचित संभावना को नकार दे। यह भी इंगित किया गया है कि जब महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाती है तो परिस्थितियों की श्रृंखला भंग हो जाती है और अन्य परिस्थितियां किसी भी प्रकार से उचित संदेह से परे अभियुक्त का अपराध स्थापित नहीं कर सकतीं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को सतर्क रहना होगा और संदेह को विधिक प्रमाण का स्थान लेने देने के खतरे से बचना होगा क्योंकि कभी-कभी अनजाने में नैतिक निश्चितता और विधिक प्रमाण के बीच एक छोटा कदम हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा यह इंगित किया गया है कि 'सत्य हो सकता है' और 'सत्य होना चाहिए' के बीच एक

लंबी मानसिक दूरी है और यही दूरी अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

इन सिद्धांतों पर *शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य*, [1984] 4 एस.सी.सी. 116 एवं विभिन्न अन्य निर्णयों में विस्तार से विचार किया गया है और ऐसे मामलों का संदर्भ आवश्यक नहीं है।

वर्तमान मामले में, यह सहजता से प्रदर्शित किया जा सकता है कि सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अवलंबित विभिन्न परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित नहीं करती थीं और ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हैं जो गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं कि गुड़िया कुमारी की मृत्यु अभियोजन द्वारा कथित तरीके से नहीं हुई होगी और इन अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप का दोषी नहीं पाया जा सकता। हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत यह न्यायालय दो समवर्ती न्यायालयों द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्षों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करता है, किंतु यदि यह न्यायालय संतुष्ट हो कि उच्च न्यायालय ने विधि की गंभीर त्रुटि की है और न्याय का पर्याप्त अपचार हुआ है, तो यह न्यायालय उच्च न्यायालय एवं विचारण न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह न्यायालय भी सामान्यतः साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन या पुनरीक्षण में प्रवृत्त नहीं होता, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन विधि या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित न हो अथवा साक्ष्य का भ्रामक पठन न हो।

गुड़िया कुमारी की लाश रवि शंकर पांडेय के खेत में मिली। लाश की जांच करने पर, चिकित्सक ने पाया कि शरीर पर चोटों की एक श्रृंखला थी। दोनों आंखें बाहर निकली हुईं पाई गईं और नाक काटी हुई थी तथा गर्दन के दाहिनी ओर एक कटी हुई चोट थी और दाहिनी कैरोटिड धमनी एवं शिरा कटी हुईं पाई गईं। मृतका के हाथों पर भी चोटें थीं। योनिच्छेद पूर्णतः विदीर्ण पाया गया। विशेषज्ञ मत यह था कि उस पर बलात्कार किए जाने

का कोई संकेत नहीं था। चिकित्सक ने लाश की जांच करने पर यह भी दर्ज किया कि पेट में लगभग 3 औंस पचा हुआ भोजन सामग्री पाई गई और यह मत व्यक्त किया कि मृतका ने मृत्यु से 6 से 7 घंटे पूर्व भोजन किया होगा।

विभिन्न अपराधसूचक परिस्थितियां, जिनके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त के अपराध का निष्कर्ष निकाला, सत्र न्यायाधीश के निर्णय की कंडिका 55 में उल्लिखित हैं। ये निम्नानुसार हैं:-

1. अभियुक्त व्यक्तियों की मृतका पर बुरी नजर थी, इसके अतिरिक्त उनके मन में द्वेष भी था।
2. दिनांक 6.11.96 को प्रातः 9:30 बजे जब मृतका कारीसाथ की ओर कक्षा में उपस्थित होने के लिए रास्ते से जा रही थी, तब अभियुक्त भुचई महतो, आसामी उर्फ अनिल डेका और अनिल पांडेय घटनास्थल के खेत में रास्ते के किनारे एक मेड़ पर बैठे देखे गए।
3. मृतका गुड़िया उस रास्ते से कारीसाथ की ओर जाती देखी गई।
4. भूषण महतो, सुदामा पांडेय और कन्हैया उसका पीछा करते देखे गए।
5. घटनास्थल के खेत से भूषण महतो, सुदामा पांडेय, मदन पांडेय, भुचई महतो और अनिल डेका बाहर आते देखे गए।
6. गुड़िया दिनांक 6.11.96 को अपने विद्यालय नहीं गई थी।
7. उन्हें पुलिस द्वारा अलग-अलग तिथियों पर पकड़ा गया।

परिस्थितियों के सरसरी अवलोकन मात्र से यह सहजता से पाया जा सकता है कि ये परिस्थितियां यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि ये अपीलार्थी दोषी हैं। इन

परिस्थितियों के समर्थन में साक्ष्य अभियोजन साक्षी-4 एकराम सिंह, अभियोजन साक्षी-5 सूर्यदेव पांडेय, अभियोजन साक्षी-1 सतेंद्र सिंह और अभियोजन साक्षी-8 दादन सिंह का है।

अभियोजन साक्षी-1 मृतका गुड़िया कुमारी का भाई है। वह दिनांक 6.11.96 की सायंकाल गुड़िया की खोज में गया। वह गुड़िया का पता नहीं लगा सका। वह उस विद्यालय गया था जहां वह पढ़ती थी किंतु विद्यालय बंद पाया गया। जब वह लौट रहा था, तो उसने सातों अभियुक्त व्यक्तियों को एक साथ बैठे और कुछ फुसफुसाते हुए देखा और साक्षी को देखकर वे चुप हो गए। उसने यह भी कथन किया है कि मृत्यु से एक सप्ताह पूर्व उसकी बहन गुड़िया कुमारी ने उसे बताया था कि इन सात अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे छेड़ा था। यह दर्ज करना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन साक्षी-1 ने पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर यह नहीं बताया कि घटना से एक सप्ताह पूर्व अपीलार्थियों ने मृतका को छेड़ा था। यह भी दर्ज करना महत्वपूर्ण है कि इस साक्षी ने पुलिस को यह भी नहीं बताया था कि दिनांक 6.11.1996 की सायंकाल उसने अनिल डेका, रामनाथ पांडेय और झिनुर पांडेय को बाल्मीकि पांडेय के घर के निकट आपस में बात करते देखा था। यदि यह भी मान लिया जाए कि उसने अभियुक्तों को एक साथ देखा था, तो वह स्वयं में कोई अपराधसूचक परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है, जब तक कि वे घटनास्थल के अत्यंत निकट न पाए गए हों अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में न पाए गए हों।

अभियोजन साक्षी-4 एकराम सिंह के साक्ष्य पर सत्र न्यायालय ने अवलंब किया। यह आरोपित है कि उसने यहां सभी पांच अपीलार्थियों को प्रातः लगभग 10 बजे रवि शंकर पांडेय के खेत से आते देखा था। साक्षी का यह कहना नहीं है कि वे संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था और न ही उनके वस्त्र रक्त-सने थे। साक्षी का यह भी कहना नहीं है कि इन अपीलार्थियों ने साक्षी को देखकर कोई व्याकुलता प्रदर्शित की। सत्र न्यायाधीश ने इस धारणा पर अभियोजन साक्षी-4 पर पूर्ण अवलंब किया कि इन अपीलार्थियों

को अभियोजन साक्षी-4 ने घटना के तत्काल बाद देखा था। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि गुड़िया कुमारी ने विद्यालय के लिए निकलने से पूर्व भोजन किया होगा और चिकित्सक के साक्ष्य के अनुसार, मृत्यु अंतिम भोजन ग्रहण करने के लगभग 6 से 7 घंटे बाद हुई होगी। अतः यदि यह भी मान लिया जाए कि अभियोजन साक्षी-4 ने इन अपीलार्थियों को रवि शंकर पांडेय के खेत के निकट देखा था, तो यह कोई अपराधसूचक परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है, जो किसी भी प्रकार से अभियोजन के मामले को आगे बढ़ाए।

एक अन्य साक्षी अभियोजन साक्षी-5 सूर्यदेव पांडेय है। उसने कथन किया कि उसने मदन पांडेय और अनिल डेका को उस खेत के निकट मेड़ पर बैठे देखा जहां घटना हुई थी। उसने उन्हें दिनांक 6.11.1996 को प्रातः लगभग 9:30 बजे देखा। उसने गुड़िया कुमारी को भी विद्यालय जाते देखा और उसके अनुसार सुदामा पांडेय, कन्हैया उर्फ झिंगुर पांडेय और भूषण महतो उसका पीछा कर रहे थे। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन साक्षी-5 सूर्यदेव पांडेय ने पुलिस के समक्ष यह नहीं कहा था कि उसने अनिल डेका और मदन पांडेय को मेड़ पर बैठे देखा था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह साक्षी एक आपराधिक मामले में अभियुक्त था जिसमें अभियुक्त मदन पांडेय के पिता के भाई नागेश्वर पांडेय की हत्या की गई थी। इस साक्षी को दोषी पाया गया था और उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। ऐसे साक्षी के साक्ष्य पर सत्र न्यायालय को अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता से विचार करना चाहिए था। इस मामले में, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी साक्षियों की अपीलार्थियों के प्रति प्रबल शत्रुता थी। दो व्यक्तियों की पूर्व में हत्या हुई थी और वे दोनों अपीलार्थियों से संबंधित थे। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी-5 एवं अभियोजन साक्षी-8 इन आपराधिक मामलों में अभियुक्त थे।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य केवल यह दर्शाएगा कि अभियोजन साक्षियों ने इन अपीलार्थियों को उस स्थान के निकट पाया जहां लाश मिली थी। ये अपीलार्थी किसी भी

संदिग्ध परिस्थिति में नहीं पाए गए थे। सभी अपीलार्थी एक ही गांव के हैं। यदि वे एक साथ बैठे हुए पाए गए अथवा सड़क पर चलते हुए पाए गए, तो वह स्वयं में अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाली कोई अपराधसूचक परिस्थिति नहीं है। यह साक्ष्य कि कुछ अपीलार्थियों ने मृतका गुडिया कुमारी को छेड़ा था, भी संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। इस क्षीण संदेह के अतिरिक्त, इन अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि इन अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने वाला कोई सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य होता, जैसे कि उनके द्वारा कथित रूप से अपराध कारित करने में प्रयुक्त किसी हथियार की बरामदगी अथवा उनके द्वारा पहने गए रक्त-सने वस्त्र, तो वह अपीलार्थियों का अपराध सिद्ध करने में कुछ सहायक होता। अन्वेषण अधिकारी ऐसी कोई अपराधसूचक सामग्री नहीं पा सके। अपीलार्थियों को घटना के तत्काल बाद गिरफ्तार किया गया था। उनमें से किसी के भी शरीर पर कोई चोट नहीं थी। यह भी संदिग्ध है कि क्या घटना स्वयं रवि शंकर पांडेय के खेत में घटित हुई थी। अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया कि उसने महजर में यह नहीं देखा कि जहां लाश मिली थी उस क्षेत्र के निकट पैरों के निशान अथवा पौधों की रौंदाई के निशान थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने केवल अनुमानों एवं कल्पनाओं पर आधारित काल्पनिक कारणों पर अपीलार्थियों को दोषी पाया और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने भी साक्ष्य का समुचित परीक्षण नहीं किया। यह और भी अधिक पीड़ादायक है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अल्प, विसंगतिपूर्ण एवं दुर्बल साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी पाया और अपीलार्थियों पर मृत्युदंड अधिरोपित करना चुना।

हमारा यह मत है कि सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में गंभीर त्रुटि की और इसके परिणामस्वरूप न्याय का अपचार हुआ। अतः हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए विवश हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि अपीलार्थियों ने उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में से कोई भी अपराध किया। अपीलार्थी दोषी

नहीं पाए जाते हैं और उन्हें उनके विरुद्ध विरचित सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उन्हें तत्काल जेल से मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी निरोधता अपेक्षित न हो।

तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

एन.जे.

अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।